178

R-2208-II/05

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प, सागर

अजित कुमार तनय प्रेमचंद जैन उर्फ कन्नूलाल जैन,
साकिन लौंडी हाल निवासी दुधना कालोनी छतरपुर
तहसील व जिला छतरपुर (म. प्र.) — रिवीजनकर्

बनाम

चंदनमाला पुत्री महेन्द्र कुमार जैन,
साकिन- कटहरा तहसील लौंडी,
जिला छतरपुर (म. प्र.) — अनावेदिका

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू राजस्व संहिता

उपरोक्त नामांकित रिवीजनकर्ता न्या
श्रीमान् कमिश्नर महोदय, सागर संभाग सागर के आदेश
20/9/2005 जो उन्होंने अपील प्रकरण क्रमांक 278-अ/6
2002-2003 पक्षकारान् चंदनमाला विरुद्ध अजित कुमार
किया है, उससे दुखित होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों
अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी इस सम्माननीय
में प्रस्तुत कर रहा है :-

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस
कि, अनावेदिका चंदनमाला ने ग्राम लौंडी तहसील लौंडी
छतरपुर के आराजी खसरा नम्बर 735/4/1 रकबा 0.0
को निगरानीकर्ता अजित कुमार के पास दिनांक 11/2/

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2208–दो/2005 जिला छतरपुर

अजित कुमार विरूद्ध चंदनमाला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19–8–2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनोवदक अभिभाषक श्री सुनील सिंह जौदान उपस्थित। उनके द्वारा तर्क किया कि इस प्रकरण में व्यवहार न्यायालय से अंतिम आदेश हो चुका है। अब इस निगरानी के प्रचलन का कोई औचित्य शेष नहीं है। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर के आदेश 20–9–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी। अनावेदक की ओर से इन्हीं पक्षकारों के मध्य एवं इसी विवादित भूमि से संबंधित वाद व्यवहार न्यायालय कमांक 21ए/2006 में प्रस्तुत किया गया था। उक्त व्यवहारवाद में दिनांक 28–3–2009 को अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है, जिसकी छायाप्रति प्रकरण में संलग्न है। इस निगरानी प्रकरण में आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है और व्यवहार न्यायालय से अंतिम आदेश हो चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक प्रकरण को प्रकरण के संचालन में रूचि नहीं है। फलस्वरूप यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (जे0के0 जैन) सदस्य	